मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 317-18
भोपाल, दिनांक 26/6/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/583/2015

आवेदकः–
M/s Anu Labels,
168, Readymade Garment Complex,
Pardesipura,
Indore – 452 011

विरूद्ध

अनावेदकः–
M/s Akhsi Fashion,
Through Shri Bacher Patel,
Options Commoercial Center,
Near Milan Subway,
1st Floor (108/101, 102),
Snatacruz (W),
Mumbai – 400 054

अन्तिम सुनवाई दिनांक 23.06.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 26.06.2020

आवेदक द्वारा दिनांक 05.02.2015 को प्रस्तुत दावा आवेदन–पत्र में निम्नानुसार दावे का प्रस्तुतीरण किया हैः–

अनावेदक द्वारा आवेदक को मौखिक सामग्री के प्रदाय हेतु आदेशित किया गया। आवेदक द्वारा आर्डर फार्म क्रमांक 035, दिनांक 11.07.2014 तैयार कर अनावेदक के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अनावेदक द्वारा हस्ताक्षरित कर, स्वीकारोक्ति दी गई है।

आवेदक द्वारा उक्त आर्डर फार्म क्रमांक 035, दिनांक 11.07.2014 के अनुसार अनावेदक को सामग्री का प्रदाय निम्नानुसार इन्वाईसेस एवं परिवहन रसीद के माध्यम से किया गया हैः–

क्र.	इन्वाईस न0 एवं दिनांक	सामग्री का विवरण	सामग्री की मात्रा	दर रू.	टैक्सेस सहित इन्वाईसेस का कुल मूल्य	ट्रान्सपोर्टर्स का नाम	प्रदत्त सामग्री की परिवहन रसीद क्रमांक एवं दिनांक
01	52, 08.08.2014	**1)TAG Akshi Blue** (1) 600x25 =15000 240x1=240 **2)TAG Akshi Black** (1) 600X20=12000 (2) 600X20=12000 (3)600X18=10800 460X1 460 **Tag Akshi Pink** 1) 600X20=12000 (2) 600X20=12000 (3)600X19=11400 295x1=295 Total Nos of Cartoon - 7	15240 Nos 35260 Nos 35695 Nos	1.40 1.40 1.40	126707.00	Andhra Goods Service, Delhi	8359, 09.08.2014

.....2

Scanned by CamScanner

आवेदक ने लेख किया कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य परस्पर कोई लिखित समझौता नही हुआ है, किन्तु आर्डर फार्म के अनुसार सामग्री प्रदाय दिनांक से 30 से 45 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना तय किया गया था। अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के बारे में कभी कोई भी आपत्ति दर्ज नही कराई गई। आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री के विरूद्ध कोई भुगतान प्राप्त नही हुआ है एवं सम्पूर्ण राशि रू. 1,26,707/– अनावेदक से लेना है।

आवेदक द्वारा दावा राशि के सन्दर्भ में आवेदक का आर्डर–फार्म क्रमांक 035, दिनांक 11.07.2014, प्रदायित सामग्री की इन्वाईसेस क्रमांक 52, दिनांक 08.08.2014, तथा अनावेदक को सामग्री प्रदाय करने के पुष्टि हेतु ट्रान्सपोर्टर्स की परिवहन रसीद क्रमांक 8359, दिनांक 09.08.2014, तथा अनावेदक को भुगतान करने हेतु भेजे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर पंजीकृत डाक से भेजने की रसीद दिनांक 21.11.2014 प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा सूक्ष्म उद्यम होने के प्रमाणीकरण हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा जारी ईएम पार्ट–2, की अभिस्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई।

आवेदक द्वारा मुलधन राशि रू. 1,26,707/– एवं इस राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक 23.09.2014 से दिनांक 31.01.2015 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 12,743/– तथा विलंबित अवधि के ब्याज हेतु अनावेदक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 567–568, दिनांक 19.03.2015 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को स्पीड पोस्ट की रसीद क्रमांक म्663024910प्छ दिनांक 25.03.2015 से प्रेषित किया गया, जो अनावेदक को दिनांक 27.03.2015 को डिलीवर्ड हुआ है जिसकी पुष्टि स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है, किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 24.04.2019, 30.05.2019 11.09.2019, एवं दिनांक 23.06.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र जारी किये गये।

सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, के नोटिस अनावेदक को क्रमशः दिनांक 18.05.2015, 21.09.2015, एवं दिनांक 13.04.2016 को डिलीवर्ड हुआ है जिसकी पुष्टि स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है।

सुनवाई दिनांक 08.10.2015 को आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2015 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वाद काउन्सिल में लगाने के पश्चात अनावेदक से रू. 18,000/– का भुगतान दिनांक 31.07.2015 को प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के तहत संदाय की रकम रू. 1,26,707/– पर दिनांक 31.07.2015 तक का संगणित ब्याज रू. 32,485/– हआ था, जिसमें से आवेदक द्वारा प्राप्त भुगतान को ब्याज राशि में समायोजित करने के पश्चात दिनांक 31.072015 तक संदाय राशि रू. 1,26,707/– एवं संगणित ब्याज राशि रू. 14,485/– अनावेदक से लेना शेष है।

प्रकरण में अनावेदक को सुलह करने हेतु 9 सुनवाई दिनांकों में पर्याप्त अवसर दिये गये। सुनवाई दिनांक 11.09.2019 को अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर काउन्सिल द्वारा प्रकरण आगामी सुनवाई पर एकपक्षीय माध्यस्थम कार्यवाही हेतु नियत किया गया।

.....3

Scanned by CamScanner

सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को आवेदक मेसर्स अनु लेबल्स, इन्दौर वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम में उपस्थित हुए। अनावेदक मेसर्स अक्शी फैशन, मुंबई संपर्क करने के उपरांत भी अनुपस्थित रहे। आवेदक द्वारा बताया कि उन्हे अनावेदक से राशि रू. 1,39,450/– मिलना शेष था, जिसमें से रू0 18,000/– उन्हे प्राप्त हो गये है। शेष राशि अभी मिला बाकी है। काउन्सिल द्वारा अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण का काउन्सिल द्वारा सुनवाई उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2015 काउन्सिल के नोटिस दिनांक 19.03.2015 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को स्पीड पोस्ट की रसीद क्रमांक EI663024910IN दिनांक 25.03.2015 से प्रेषित किया गया, जो अनावेदक को दिनांक 27.03.2015 को डिलीवर्ड हुआ है जिसकी पुष्टि स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है। आवेदक का दावा आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसी प्रकार अनावेदक को सुनवाईयों के सूचना पत्र जारी किये गये। सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, के नोटिस अनावेदक को क्रमशः दिनांक 18.05.2015, 21.09.2015, एवं दिनांक 13.04.2016 को डिलीवर्ड हुआ है जिसकी पुष्टि स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा राशि रू. 18,000/– का भुगतान आवेदक को किया भी गया है, जिससें यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का खंडन/उत्तर प्रस्तुत नही किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदक को प्रदायित सामग्री के डिलीवरी चालान पर अनावेदक फर्म की सील (मोहर) एवं हस्ताक्षर अंकित है, जिससें अनावेदक को सामग्री प्राप्ति की पुष्टि होती है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत विलंबित संदाय राशि का दावा स्थापित होता है।

सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे अनावेदक से राशि रू. 1,39,450/– लेना शेष है। आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की इन्वाईस क्रमांक 52, दिनांक 08.08.2014 की रशि रू. 1,26,707/– है तथा आवेदक द्वारा सुनवाई दिनांक 23.06.2020 को राशि रू. 12,743/– ब्याज के शेष होना बताये गये है।

अतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक M/s Akhsi Fashion, Through Shri Bacher Patel, Options Commoercial Center, Near Milan Subway, 1st Floor (108/101,102),Snatacruz(W),Mumbai–400054 द्वारा, बकाया संदाय राशि रू. 1,26,707/– (रूपये एक लाख छब्बीस हजार सात सौ सात मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 23.06.2020 तक की बकाया ब्याज राशि रू. 12,743/– (रूपये बारह हजार सात सौ तिरयालिस मात्र) कुल राशि रू. 1,39,450/– (रूपये एक लाख उनचालिस हजार चार सौ पचास मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक,

.....4

Scanned by CamScanner

के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s Anu Labels, 168, Readymade Garment Complex, Pardesipura, Indore– 452 011 को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

26/6.

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

26/6/16

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
भोपाल।

26/6

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल।

Scanned by CamScanner